सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7167/MPNG/4/2026-RU-III **दिनांक: 20.07.2026**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
पैट्रोलियम हाउस 17, जमशेदी टाटा रोड,
मुंबई-400020, महाराष्ट्र,
ई-मेल: corphqo@hpcl.in , cmd@hpcl.in
संपर्क सूत्र: 91-22-22863900

विषय: ग्राम-आमखेड़ा, धार, मध्य प्रदेश की भूमि सर्वे न. 100/2 पर स्थित एच.पी.सी.एल पेट्रोल पम्प को नए एन.एच 59 हाइवे पर स्थानांतरित करने बाबत श्रीमती मंजुला बघेल, निवासी-280 MIG-II, दीनदयालपुरम, जिला-धार, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती मंजुला बघेल,
निवासी-280 MIG-II, दीनदयालपुरम,
जिला-धार, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7167/MPNG/4/2026-RU-III- RU-I

श्रीमती मंजुला बघेल, दीनदयालपुरम, जिला-धार (मध्य प्रदेश) द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) को राष्ट्रीय राजमार्ग के नवीन मार्ग के निकट स्थानांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्रीमती मंजुला बघेल, दीनदयालपुरम, जिला-धार (मध्य प्रदेश) द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया गया कि उन्होंने अपनी स्वामित्वाधीन भूमि, स्थित ग्राम आमखेड़ा, को दिनांक 21.03.2012 को लीज डीड के माध्यम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराया था। उक्त भूमि पर वर्तमान में रिटेल आउटलेट संचालित है तथा आवेदिका स्वयं एचपीसीएल द्वारा चयनित डीलर के रूप में उसका संचालन कर रही हैं।
3. अभ्यावेदन के अनुसार बाद में नवीन बायपास/राष्ट्रीय राजमार्ग-59 के निर्माण के कारण मुख्य यातायात पुराने मार्ग के स्थान पर नवीन मार्ग से संचालित होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उनके रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई है। आवेदिका का कहना है कि इससे उनके व्यवसाय एवं परिवार की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
4. उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका ने आयोग से अनुरोध किया कि उनके रिटेल आउटलेट को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराई जाए, जिससे उनका व्यवसाय पुनः सुचारु रूप से संचालित हो सके।
5. आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2026 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
6. तत्पश्चात आयोग द्वारा दिनांक 22.04.2026 को संबंधित प्राधिकारी एवं याचिकाकर्ता के साथ विषय पर विचार-विमर्श हेतु सिटिंग आयोजित की गई थी, जिसके लिए दिनांक 16.04.2026 को बैठक सूचना जारी की गई थी। उक्त सिटिंग में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आयोग द्वारा कुछ अनुशंसाएं की गई थीं तथा तीन माह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
7. दिनांक 16.06.2026 को आयोजित वर्तमान सिटिंग में प्रकरण की अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रिटेल आउटलेट के स्थानांतरण हेतु वैकल्पिक भूमि की पहचान एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की प्रक्रिया प्रचलन में है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रकरण में एचपीसीएल द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए ताकि स्थानांतरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण हो सके।
8. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग की पूर्व अनुशंसाओं के अनुरूप विषय पर विचार किया जा रहा है तथा स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित स्थल के संबंध में आवश्यक परीक्षण एवं औपचारिक कार्यवाहियां नियमानुसार की जाएंगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

9. दिनांक 16.06.2026 को सुनवाई के दौरान अभ्यावेदिका ने अपनी मांगों को पुनः दोहराया तथा उपस्थित प्राधिकारी (उपस्थित पंजिकानुशार) ने वचन दिया कि कंपनी द्वारा पूर्ण मदद की जाएगी। कंपनी से उपस्थित प्राधिकारी ने कहा कि उचित नवीन जमीन की व्यवस्था प्रार्थी द्वारा किया जाए उक्त जमीन उनकी स्वयं की तथा लीज़ पर ली गई भूमि भी हो सकती है। उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी ने अभ्यावेदक को इंदौर के अधिकारी को पत्र तथा भूमि के रिकार्ड को उपलब्ध कराने की बात कई तथा उक्त अधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग की बात आयोग को अवगत कराई। अभ्यावेदक ने मांग की कि जब तक नवीन पंप कार्य में ना आ जाए तब तक उनके पुराने पंप के संचालन को ना रोका जाए क्यौंकि पंप ही उनके आजीविका का साधन है। इस मांग पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहमति दिया तथा नियमानुशार इस मांग को उचित बताया।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुसंशसा की –

(i) याचिकाकर्ता एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय के मध्य समन्वय स्थापित कर रिटेल आउटलेट के स्थानांतरण हेतु उपयुक्त वैकल्पिक स्थल को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

(ii) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रस्तावित स्थल के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल, तकनीकी परीक्षण एवं अन्य औपचारिक कार्यवाहियां प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करे तथा याचिकाकर्ता को यथासंभव सहयोग प्रदान करे।

(iii) प्रस्तावित स्थल के अंतिम रूप से अनुमोदित होने एवं आवश्यक लीज समझौते के निष्पादन के उपरांत प्रचलित नियमों एवं नीतियों के अनुसार रिटेल आउटलेट के स्थानांतरण की कार्यवाही समयबद्ध रूप से संपन्न की जाए।

(iv) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस संबंध में की गई कार्यवाही का अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को तीन माह के भीतर उपलब्ध कराए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. स.NCST/DEV-7167/MPNG/4/2026-RU-III

दिनांक: 16.06.2026

विषय: ग्राम-आमखेड़ा, धार, मध्य प्रदेश की भूमि सर्वे न. 100/2 पर स्थित एच.पी.सी.एल पेट्रोल पम्प को नए एन.एच 59 हाइवे पर स्थानांतरित करने बाबत श्रीमती मंजुला बघेल, निवासी-280 MIG-II, दीनदयालपुरम, जिला-धार, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
पैट्रोलियम हाउस 17, जमशेदी टाटा रोड, मुंबई-400020, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	देबाशीष बसाक	कार्यकारी निदेशक रिटेल	9619066055	देबाशीष बसाक
2	अजय सूद	महाप्रबंधक रिटेल	9752531769	अजय सूद
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	मंजुला बघेल	HPCL Dealer Dhar	9425936023	[signature]
2				
3				
4				